न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4306–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.11.2014 पारित व्दारा – तहसीलदार राजनगर, जिला छतरपुर – प्रकरण क्रमांक 26 अ–6/2013–14

1– सुधीर सोनी पुत्र गजाधर सोनी
2– नरेन्द्र कुमार पुत्र जगन्नाथ सोनी
निवासी राजनगर तहसील राजनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1–महेन्द्र कुमार पुत्र स्व.लक्ष्मीप्रसाद सोनी
निवासी राजनगर तहसील राजनगर
2–भुमानीदीन कुशवाहा पुत्र छिकोड़ी कुशवाहा
निवासी खजुराहो तहसील राजनगर
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 20–10–2015 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार राजनगर, जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 26 अ–6/2013–14 में पारित दिनांक 29.11.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क्रमांक–1 ने तहसीलदार राजनगर को म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109,110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग रखी कि ग्राम खजुराहो स्थित भूमि सर्वे नंबर 102/39/1 रकबा 0.29 है. जर्य पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.4.2012 अनावेदक क्रमांक–2 से क्रय किया गया है, नामान्तरण किया जावे।

तहसीलदार राजनगर ने प्र.क्र. 01 अ-6/13-14 पंजीबद्ध किया तथा कार्यवाही प्रारंभ की। नामान्तरण कार्यवाही के दौरान आवेदकगण ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 01 नियम 10 (2) के अंतर्गत आपत्ति प्रस्तुत कर पक्षकार बनाये जाने की मांग रखी। तहसीलदार राजनगर ने उभय पक्ष की सुनवाई कर अंतरिम आदेश दिनांक 29.11.2011 पारित किया तथा आवेदकगण का आपत्ति आवेदन निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो मे उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अनावेदक क-2 के पिता छिकोड़ी काछी ने अपनी भूमि को छोटे छोटे प्लाट्स में कन्वर्ट करके प्लाट विक्रय किये है जिसमें से निगरानीकर्तागण के चाचा एंव पिता व्दारा प्लाट क्रय किये गये हैं। खसरा नंबर 102/8 में से रकबा 0.006 है. भूमि का विक्रय पत्र 9-4-73 को हुआ है दोनों क्रयशुदा प्लाटस का नामान्तरण है जिस पर निगरानीकर्ता का एंव उनके पिता का कब्जा विक्रय पत्र दिनांक से है। सर्वे नंबर 102 के प्लार्टिंग से जो शेष भूमि बची है वह रास्ते के लिये छोड़ी गई भूमि है जो छिकोड़ी भूमिस्वामी के मरने के वाद उसके पुत्र अनावेदक क्रमांक 2 के नाम हुई है। इसी रास्ते की भूमि को अनावेदक क-2 ने विक्रय कर दिया है जो अवैध है इसी भूमि पर से रास्ता होने के कारण आवेदकगण हितबद्ध पक्षकार हैं किन्तु तहसीलदार ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर न देने एंव हितबद्ध पक्षकार

न मानने में भूल की है। अनावेदकगण के अभिभाषक ने इसका विरोध कर निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण में आये तथ्यों से विचार योग्य है कि विक्रीत रकबा ग्राम खजुराहो स्थित भूमि सर्वे नंबर 102/39/1 रकबा 0.29 है. है जो रिकार्डेड भूमिस्वामी ने अनावेदक कमांक-2 को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.4.2012 से विक्रय किया है यदि यह रकबा सार्वजनिक रास्ते का रहा होता - निश्चित है उप पंजीयक अभिलेख में रास्ता भूमि अभिलिखित होने के कारण विक्रय पत्र संपादित नहीं करता एंव सार्वजनिक रास्ता भूमि अभिलेख में लिखी होने के कारण तहसीलदार भी नामान्तरण कार्यवाही में आवेदकगण को हितबद्ध मानते, किन्तु विक्रीत भूमि सर्वे नंबर 102/39/1 रकबा 0.29 है. रिकार्डेड में अनावेदक कमांक-2 के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज होने के कारण विक्रीत हुआ है जिसके कारण तहसीलदार ने आवेदकगण को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः तहसीलदार राजनगर, जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 26 अ-6/2013-1 में पारित दिनांक 29.11.2014 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर